मथुरा पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

दिनांक 28.07.2025 **प्रेस नोट** **थाना-जैंत**

"आपरेशन कन्विक्शन अभियान" के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर इण्डस टॉवर की बैट्री चोरी करने वाले दो अभियुक्तगण को 08-08 माह के कारावास एवं 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा की सजा दिलवाई गई।

अवगत कराना है कि **मु0अ0सं0 515/2024 धारा 305/317(2) बी0एन0एस0 थाना जैत जनपद मथुरा** बनाम **अभियुक्तगण 1.रवि पुत्र मोहर सिहं निवासी शांतिनगर कॉलोनी थाना जैत मथुरा 2.राजू पुत्र मदनलाल निवासी पल्सो थाना गोवर्धन मथुरा** द्वारा **इण्डस टॉवर की बैट्री चोरी कर लेने** के सम्बन्ध में दिनांक 26.11.2024 को थाना जैंत पर पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल, मथुरा द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 28.07.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0, मथुरा** द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर उपरोक्त दोनों **अभियुक्तगण 1.रवि पुत्र मोहर सिहं निवासी शांतिनगर कॉलोनी थाना जैत मथुरा 2.राजू पुत्र मदनलाल निवासी पल्सो थाना गोवर्धन मथुरा प्रत्येक को 08-08 माह के कारावास एंव 3000-3000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया**।